




NCRES

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh

Gen. Secretary

&

Joint Gen. Secretary-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony

Sulem Sarai, Prayagraj - 211011

P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No : 167/NCRES/71/23

Date : 24.8.2023

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय:- नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में RBE 155/2022 दिनांक 17.11.2022 का कई कैंडरो में क्रियान्वयन न हो पाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या RBE 155/2022 दिनांक 17.11.2022 का नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के झांसी, आगरा एवं प्रयागराज मण्डलो के कई कैंडरो में पत्र जारी होने के 09 माह बाद भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।

आगरा मण्डल के मण्डल सचिव ने अवगत कराया गया है कि परिचालन विभाग में मैचिंग सेविंग हेतु मनी वैल्यू सरेंडर करने के लिये सेफ्टी कैटेगिरी में लेवल-1 (GP-1800) के प्वाइंट्समैन का पद ही उपलब्ध है, जो रेल संरक्षा कारणों से सरेंडर किया जाना उचित नहीं है।

NCRES को यह भी अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में लगभग समस्त कैंडर में RBE 155/2022 के तहत GP-4800 में अपग्रेड किये जाने वाले अधिकतर कर्मचारी पहले से ही MACP के तहत GP-4800 प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में NCRES का मांग है कि केवल उन्हीं कर्मचारियों हेतु मैचिंग सेविंग के तहत मनी वैल्यू सरेंडर किये जाय जो MACP के तहत GP-4800 अभी तक प्राप्त नहीं किये हैं।

NCRES को यह भी ज्ञात हुआ है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में मैचिंग सेविंग के तहत मनी वैल्यू सरेंडर न होने के कारण कई कैटेगिरी में अपग्रेडेशन नहीं किया जा सका और उन्हें RBE 155/2022 के नियमों के तहत रेलवे बोर्ड भी नहीं भेजा गया।

अतः NCRES का अनुरोध है कि जो कर्मचारी MACP के तहत GP-4800 प्राप्त कर चुके हैं उन्हें RBE 155/2022 के तहत GP-4800 में अपग्रेड कर दिया जाय और जिन-जिन कैटेगिरी में मैचिंग सेविंग के तहत मनी वैल्यू सरेंडर न हो पाने के कारण GP-4800 में अपग्रेड नहीं किया जा सका है, ऐसे केंसों को RBE 155/2022 के तहत रेलवे बोर्ड भेजने के लिये उचित आदेश जारी किया जाय और की गई कार्यवाही से NCRES को अवगत कराया जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज